(To be published in the Part IV of the Delhi Gazette, Extraordinary)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
LAND & BUILDING DEPARTMENT
(ADMINISTRATION BRANCH)
B-BLOCK, VIKAS BHAWAN, NEW DELHI-110002

Dated :01/08/2017

NOTIFICATION

No. F.05/29/16/L&B/ADMN/4916 :- In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 51 of "the Right of Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (30 of 2013) read with Government of India, Ministry of Home Affairs, notification numbers S.O. 2740 (E) dated 21st October, 2014 and S.O. 2004 (E) dated 21st July, 2015, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to constitute the "Land Acquistion, Rehabilitation and Resettlement Authority" consisting of Presiding Officer, for the purpose of providing speedy disposal of disputes relating to Land Acquisition, Compensation, Rehabilitation and Resettlement of the affected persons due to the acquisition of land under the provisions of the said Act.

The Land Acquistion, Rehabilitation and Resettlement Authority shall exercise the jurisdiction, powers and authority conferred on it by or under the said Act to the area within the National Capital Territory of Delhi as notified by the appropriate Government for entertaining and deciding the references made to it under section 64 or applications made by the applicants under the second proviso to sub section (1) of section 64 of the said Act.

By order and in the name of
Lieutenant Governor of the National
Capital territory of Delhi.

(ASHOK KUMAR KAIN)
Deputy Secretary (Admn.)
Govt. Of N.C.T., Delhi.

No. F.05/29/16/L&B/ADMN 4916

Dated :01/08/2017

Copy forwarded for n.a to:

1. General Administration Department, GNCTD (in duplicate) for favour of publication in Delhi Gazette.

Copy forwarded to:

1. Secretary to the Government of India, Ministry of Urban Development, Shastri Bhawan, New Delhi (with 4 spare copies).
2. Secretary to L.G. of Delhi
3. SO to Chief Secretary of Delhi, Vth Level, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi.
4. Divisional Commissioner/ Secretary(Revenue), 5 Shamnath Marg, Delhi.
5 Vice-Chairman, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi.
6. Secretary (PWD), GNCT of Delhi.
7. M.D., Delhi Metro Rail Corporation, New Delhi.
8. Commissioner, South Municipal Corporation of Delhi
9. Commissioner, North Municipal Corporation of Delhi.
10. Commissioner, East Municipal Corporation of Delhi.
11. Special Secretary (L&B), GNCTD, L&B Deptt., New Delhi.
12. Addl. Secretary (L&B), GNCTD, L&B Deptt., New Delhi.
13. In- Charge (Computer Cell), L&B Deptt., with the request to upload on the website.
14. Dy. Legal Advisor, L&B Department.
15. Central Record Room, L&B Department.

(ASHOK KUMAR KAIN)
Deputy Secretary (Admn.)
Govt. Of N.C.T., Delhi.

दिल्ली राजपत्र भाग–4 असाधरण में प्रकाशनार्थ

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
भूमि एव भवन विभाग
प्रशासन शाखा
बी – ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली

दिनांक 01/08/2017

अधिसूचना

सं. एफ0 05 (29)/16/एल एंड बी/प्रशा0 4216 – गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना एस0ओ0 2740 (ई) दिनांक 21 अक्टूबर, 2014 तथा एस0ओ0 2004 (ई) दिनांक 21 जुलाई, 2015 के साथ पठित भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एव पुनःस्थापन में उचित प्रतिपूर्ति एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 13) की धारा 51 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद द्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत भूमि के अधिग्रहण के कारण प्रभावित लोगों के भूमि अधिग्रहण, प्रतिपूर्ति एवं पुर्नवास एवं पुनःस्थापन से संबंधित विवादों के शीघ्र निपटान के उद्देश्य के प्रयोजनार्थ "भूमि अधिग्रहण, पुर्नवास एवं पुनःस्थापन प्राधिकरण" जिसमें पीठासीन अधिकारी होंगे, का गठन करते हैं ।

भूमि अधिग्रहण, पुर्नवास एवं पुनःस्थापन प्राधिकरण उक्त अधिनियम की धारा 64 या धारा 64 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक के अंतर्गत भेजे गए संदर्भो पर विचार करने तथा निर्णय करने के लिए समुचित सरकार द्वारा यथा अधिसूचित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के क्षेत्र के भीतर उक्त अधिनियम के अंतर्गत या इसे प्रदत्त क्षेत्राधिकार, शक्तियों तथा प्राधिकारों का प्रयोग करेगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर

(ए.के. केन)
उप सचिव (प्रशासन)

सं. एफ0 05 (29)/16/एल एंड बी/प्रशा0 4216 दिनांक : 01/08/2017

आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित की गई प्रतिलिपि :

1. दिल्ली गजट में प्रकाशन के पक्ष में सामान्य प्रशासन विभाग, जीएनसीटीडी (प्रतिलिपि में) ।

कॉपी अग्रेषित करने के लिए :–

1. भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय (यू.डी. विभाग) नई दिल्ली (4 अतिरिक्त प्रतियों के साथ) ।
2. सचिव उपराज्यपाल दिल्ली को सूचनार्थ हेतू।
3. स. ओ. मुख्य सचिव दिल्ली, चौथे स्तर, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली ।
4. विभागीय आयुक्त/सचिव (राजस्व), जीएनसीटीडी, 5, शामनाथ मार्ग, दिल्ली ।
5. उपाध्यक्ष, डीडीए, विकास सदन, आईएनए, नई दिल्ली ।
6. सचिव (पीडब्ल्यूडी), जीएनसीटीडी, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली ।
7. महाप्रबंधक, दिल्ली मेटो रेल निगम, नई दिल्ली ।
8. आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, दिल्ली ।
9. आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दिल्ली ।
10. आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, दिल्ली ।
11. विशेष सचिव (एल एंड बी), जीएनसीटीडी, एल एंड बी विभाग, नई दिल्ली –110002
12. अपर सचिव, (एल एंड बी), जीएनसीटीडी, एलएंडबी विभाग, नई दिल्ली –110002
13. प्रभारी (कंम्प्यूटर सेल) एल एंड बी विभाग, नई दिल्ली–110002 वेबसाइट पर प्रविष्टि को अपडेट करने के अनुरोध के साथ ।
14. उप कानूनी सलाहकार, एल एंड बी विभाग जीएनसीटीडी, नई दिल्ली ।
15. केन्द्रीय रिकार्ड कक्ष, एल एंड बी विभाग जीएनसीटीडी, नई दिल्ली ।

(एं.के. केन)
उप सचिव (प्रशासन)